



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-279

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 287453 दिनांक 14/03/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गु.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Jyoti Mathur W/o Narayan Chandra Mathur एवं Ranjana Nahata W/o KAMAL SINGH NAHATA	श्री मेघराज सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह	67	200.00 SQ. YARD	Private	DAKSHINPU RI PHASE -I	Name Transfer	निजी खातेदारी की योजना दक्षिणीपुरी फेज-2 के भूखण्ड संख्या 67 क्षेत्रफल 200.00 वर्गगज की लीजडीड दिनांक 28.02.2003 को श्री मेघराज सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह के नाम से जारी किया गया। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का बैचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 16.06.2005 को श्री मेघराज सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह के द्वारा श्री सुभाष जैन पुत्र स्वं श्री हस्तीमल जैन के पक्ष में कर दिया गया। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का बैचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 07.10.2013 को श्री सुभाष जैन पुत्र स्वं श्री हस्तीमल



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

नाहटा पत्नि श्री कमल सिंह नाहटा एवं श्रीमती ज्योति माथुर पत्नि श्री नारायण चन्द्र माथुर के पक्ष में कर दिया गया। उक्त भूखण्ड में एक से अधिक बैचान होने के कारण सार्वजनिक विज्ञप्ति का प्रकाशन करवाया जाना अपेक्षित है। आवेदकगण द्वारा नाम हस्तान्तरण पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Jyoti Mathur W/o Narayan Chandra Mathur एवं Ranjana Nahata W/o KAMAL SINGH NAHATA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।

2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |